



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

PUN.CAB.APTP.No. S1143 /09-06-002/2025-2026

19 दिसंबर, 2025

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ग्रामीण सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

**सहकारी बैंकों के STC के संकाय सदस्यों के लिए कृषि वित्त पर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
28 से 30 जनवरी, 2026**

भारतीय रिजर्व बैंक, CAB, पुणे 28 से 30 जनवरी, 2026 के दौरान CAB, पुणे के परिसर में "सहकारी बैंकों के STC के संकाय सदस्यों के लिए कृषि वित्त पर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित कर रहा है।

2. Programme Objectives: ग्रामीण सहकारी बैंकों के पास प्रत्येक राज्य में अपने अधिकारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षित करने के लिए स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज (एसटीसी) होते हैं। अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए, STC के संकाय सदस्यों को हाल की नीतिगत पहलों और कृषि प्रौद्योगिकी में प्रगति पर क्षमता निर्माण की आवश्यकता है, जिससे वे कृषि परियोजना वित्तपोषण को प्रभावी ढंग से सिखा सकें और प्रतिभागियों को संबंधित ज्ञान और कौशल से बेहतर रूप से सुसज्जित कर सकें। इसे ध्यान में रखते हुए, इस कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- एसटीसी के संकाय सदस्यों की क्षमता को बढ़ाना ताकि वे बुनियादी कृषि-वित्त सिद्धांतों, कृषि परियोजना मूल्यांकन और कृषि-सहायक क्षेत्र परियोजनाओं के वित्तपोषण जैसे प्रमुख विषयों पर सत्र प्रभावी ढंग से आयोजित कर सकें।
- उच्च तकनीक कृषि, फसल के बाद प्रबंधन अवसंरचना और कृषि-एमएसएमई पर ज्ञान प्रदान करना।
- उभरते क्षेत्रों जैसे कि कृषि मूल्य श्रृंखला (AVC), अनुबंध खेती और किसान उत्पादक संगठन (FPOs) में वित्तपोषण के अवसरों के बारे में जागरूकता और समझ विकसित करना।

3. Venue and accommodation

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे – 411 016 (महाराष्ट्र) भारत
फोन : (91-020) 25538392 फैक्स : (91-020)25538959/25537089 ई-मेल: principalcab@rbi.org.in

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016 (Maharashtra) INDIA
Phone : (91-020) 25538392 Fax : (91-020) 25538959 E-mail : principalcab@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

कार्यक्रम आवासीय है। ठहरने और खाने की व्यवस्था सीएबी परिसर में की जाएगी। प्रतिभागी 27 जनवरी, 2026 की संध्या को सीएबी में रिपोर्ट कर सकते हैं और कार्यक्रम के समापन के दिन पर प्रस्थान कर सकते हैं। ओवरस्टे और अतिथि के साथ आने की अनुमति नहीं है।

4. Course Contents: कार्यक्रम की व्यापक पाठ्यक्रम सामग्री अनुबंध। में दी गई है।

5. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए आप अपने बैंक से उपयुक्त अधिकारियों को नामित करें। नामांकन **18 जनवरी, 2026** को या उससे पहले nomination.ami@rbi.org.in पर भेजे जा सकते हैं। भागीदारी शुल्क का विवरण अनुबंध। में दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि नामांकन **First Come First Served Basis (FCFS)** के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे क्योंकि सीटें सीमित हैं।

6. नामांकन संबंधी पूछताछ के लिए, आप नामांकन डेस्क (श्री प्रथमेश पाटील - 9503779432 / श्रीमती साधवी भाटिया - 9834023900) से संपर्क कर सकते हैं या ई-मेल के माध्यम से nomination.ami@rbi.org.in पर संपर्क कर सकते हैं।

IMPORTANT DATES	
Programme Dates	28 से 30 जनवरी, 2026
Last date for receipt of nomination	18 जनवरी, 2026
Reporting at CAB	27 जनवरी, 2026, शाम को
Programme Timings	सुबह 09:45 से शाम 05:30 बजे तक
Completion of programme	30 जनवरी, 2026 को शाम 05.30 बजे

Yours sincerely,

(डॉ. के सुब्रमणियन)

उप महाप्रबंधक एवं संकाय सदस्य

कार्यक्रम निदेशक

Contact: 9489625948

Email ID- ksubramanian@rbi.org.in

Encl.: As above

Broad Course contents

➤ **Module I: Overview of Agri finance**

- Fundamentals and Overview of agriculture and Agri finance
- Recent policy initiatives by GoI, RBI, NABARD
- Regulatory guidelines on Agri finance

➤ **Module II: Project Approach to Agri lending**

- Financial appraisal through Discounting Cash Flow (DCF) techniques
- Technical and financial appraisal of Agri and allied sector projects such as dairy, poultry, fisheries, poly/greenhouse, horticulture, Sheep Goat Piggery, micro-irrigation, farm mechanization projects

➤ **Module III: Financing Post Harvest Management Infrastructure**

- Agricultural marketing system, post-harvest infrastructure, financing of rural godown and cold storages, NCCD guidelines, Negotiable Warehouse Receipt (NWR) financing, etc., with case exercises.

➤ **Module IV - Emerging Agri finance models**

- Agri Value Chain financing (AVCF), FPOs, SHGs, JLGs, Integrated Farming, Hi-tech agriculture etc.

Annex II

सहकारी बैंकों के STC के संकाय सदस्यों के लिए कृषि वित्त पर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 से 30 जनवरी, 2026

Fee Structure

Group		Fees per participant	18% GST	Total fees to be paid per participant (including GST)
State Cooperative Banks	Residential	₹13,200/-	₹2,376/-	₹15,576/-
	Non-residential	₹8,200/-	₹1,476/-	₹9,676/-

Please use the programme code AMI-28012026 in Sender to Receiver Information while remitting the fee through NEFT.

PLEASE DON'T REMIT THE PAYMENT THROUGH RTGS. PLEASE MAKE THE PAYMENT BY NEFT ONLY.

In terms of section 48 of RBI Act 1934, RBI is exempted from payment of Income Tax or Super Tax on any of its Income, Profits or Gains. Nominating institutions should, therefore, not deduct TDS on the Programme Fees.



भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1969 में ग्रामीण और सहकारी बैंकिंग में प्रशिक्षण इनपुट प्रदान करने के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) की स्थापना की गई। इसके बाद, भारतीय वित्तीय क्षेत्र की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखे हुए, महाविद्यालय द्वारा कृषि बैंकिंग, एमएसएमई वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और साक्षरता, मानव संसाधन और नेतृत्व आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया गया। अकादमिक वर्ष 2021 से महाविद्यालय द्वारा चार फोकस एरिया (4C) यथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और अनुपालन प्रबंधन की पहचान की गई हैं ताकि वित्तीय प्रणाली में मजबूती प्रदान करने और सेवा मानकों में वृद्धि करने के लिए बैंकरों तथा फाइनेंशियल प्रोफेशनलों की क्षमता निर्माण की जा सके। महाविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रमों और अनुसंधान सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। इसी के साथ, महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार कस्टमाइज प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2015 से एमएसएमई वित्तपोषण के क्षेत्र में विशेषीकृत नैमकैब कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में नामित किए जाने के साथ ही वर्ष 2021 में मिशन 'अवतु' के अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महाविद्यालय को 'नोडल संस्थान' के रूप में नामित किया गया।